



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 अगस्त, 1980

श्रावण 17, 1902 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग -1

संख्या 2266/सवह-वि०-1-52-80

लखनऊ, 8 अगस्त, 1980

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 8 अगस्त, 1980 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1980 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1980

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1980)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा संक्षिप्त नाम जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधि- 2--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की धारा 53 में, उपधारा (1)
नियम संख्या 8 में, शब्द "दो वर्ष" क स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायेंगे ।
सन् 1952 की
धारा 53 का
संशोधन

आज्ञा से

रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव ।

No. 2266(2)/XVII—V—1—52-80

Dated Lucknow, August 8, 1980

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1980) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 8, 1980.

**THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICINE (AMENDMENT)
ACT, 1980**

[U. P. ACT No. 11 OF 1980]

(As passed by the Uttar Pradesh legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine, Act, 1951

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows :

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Act, 1980.

*Amendment of
section 53 of
U.P. Act no. 8
of 1952.*

2. In section 53 of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951, in sub-section (1), for the words "two years" the words "five years" shall be substituted.

By order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv.